<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>31.08.2023</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मैसर्स श्री वेंकटेश्वर इंडस्ट्रीज, हैदराबाद के मामले में सावधि जमा के रूप में 90 लाख रुपये की चल संपत्ति को कुर्क किया गया है।

ईडी ने तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएसपीसीबी) द्वारा तेलंगाना के मेडचल में माननीय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, साइबराबाद की अदालत में दायर शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। उक्त शिकायत के अनुसार, **जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम** की विभिन्न धाराओं के तहत तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएसपीसीबी) द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए उचित उपचार किए बिना मैसर्स श्री वेंकटेश्वर इंडस्ट्रीज खतरनाक कचरे (अपशिष्ट पदार्थों) का निपटान कर रही थी।

ईडी के अन्वेषण से पता चला कि मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इंडस्ट्रीज और उसके भागीदारों ने अपने परिसर में उत्पन्न खतरनाक कचरे के उपचार की वैधानिक आवश्यकता का पालन नहीं किया और इसे हैदराबाद अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा के लिए नहीं भेजा। इसके बजाय, फर्म ने ईंट निर्माताओं को देकर खतरनाक कचरे का निपटान किया। अन्वेषण से यह भी पता चला कि उक्त अपराध को अंजाम देकर, फर्म और उसके भागीदारों ने 90 लाख रुपये की अपराध जनित आगम अर्जित की, जिसे जांच के दौरान अनंतिम रूप से कुर्क किया गया ।

मामले में आगे की जांच चल रही है।